

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, करौली  
जिला-करौली



\* जाति प्रमाण-पत्र \*

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा  
अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

फलाक : RJ9/2013/Misc/Digital Caste (SC/ST)/3694

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी पुजा महामना पुत्री श्री मोहन लाल खटीक निवासी- ग्राम पो0  
महोली तह0 व जिला करौली, जिला करौली राजस्थान राज्य में खटीक (36) के अनुसूचित जाति  
समुदाय के सदस्य हैं, जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (सूची) सशोधन  
आधीनियम 1956 संविधान अण्डमान निकोबार अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1956 के  
अन्तर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम जाति मानी जा चुकी है।

पुजा महामना और इसका परिवार साधारणतः ग्राम पो0 महोली तह0 व जिला करौली राज्य संघ क्षेत्र  
राजस्थान के जिला करौली के निवासी हैं।

आज दिनांक 17-07-2013 को यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रबलित किया गया है।

1. यहाँ प्रयोग राधारणतः निवासी का जर्बी ज्ञात होगा जो जन विभिन्नता 1950 की द्वारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की विविधता तंत्र एक 21(3) एस जे ई /कम्प्/ ई.वी./08-09/73710 दिनांक  
20/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु विभिन्न हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र के बोलका द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजान के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्राथमिकता के समर्थन में  
योई विवाद दोने पट प्रमाण-पत्र खालित किया जा सकता।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात जिनमें के सम्बन्धित प्रस्तुत भविष्यार्थी जिहके हस्ताक्षर से यह जारी किया जावेगा  
कि कार्यालय से निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होती।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः उभी कार्यों के निये मात्र है।
6. शार्पी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यावान [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section के online सत्यावान  
किया जा सकता है।

तहसीलदार, करौली

Signature valid

Digitally signed by  
MATADEEPA MEENA  
Date: 2018-07-17  
05:03:29 GMT+05:30  
Reason: VCM  
Location: Rajasthan



1309018010047612